कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 647 /11–सी–आगरा–24614/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 27 ,2019

सेवा में,

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषयः– आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा–ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।
(प्रस्ताव सं0– **आगरा–24614/2017**)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/60/2018/एफ0सी0/196, दि0–19.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक–1137/14–1, दिनांक 06.09.2019 एवं पत्रांक–1117/14–1 दिनांक 23.09.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण एवं सम्बन्धित अभिलेख की एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

27.9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– आगरा–24614/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, (ता0ट्रि0), लोक निर्माण विभाग, आगरा।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।